समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री नन्द किशोर यादव, पे0-स्व0 मेनेजर प्रसाद यादव, सा0-मधेपुरा वार्ड नं0-21, थाना+जिला-मधेपुरा को एक दो नाली बंदूक अनुज्ञप्ति संख्या-14/95 प्राप्त है, जिस पर बंदूक सं0-13639-94 धारित है। उनके पुत्र श्री संजय कुमार, पे0-स्व0 नन्द किशोर यादव, सा0-मधेपुरा वार्ड नं0-21, थाना+जिला-मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पिता नन्द किशोर यादव की मृत्यु दिनांक-23.07.2020 को हो चुकी है एवं उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा करने हेतु अनुमति के लिए अनुरोध किया गया है।

अतः श्री संजय कुमार द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में शस्त्र अधिनियम की धारा 17(6) के तहत् उनके पिता नन्द किशोर यादव के नाम से निर्गत एक दो नाली बंदूक अनुज्ञप्ति संख्या-14/95 को **रद्द** किया जाता है तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 21(1) के तहत् धारित बंदूक सं0-13639-94 को मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा में रखने की अनुमति दी जाती है एवं आवेदक श्री संजय कुमार, पे0-स्व0 नन्द किशोर यादव को निदेश दिया जाता है कि मृतक के नाम से निर्गत मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र जमा किए गए शस्त्र की पावती रसीद की प्रति जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वांछित कागजात प्राप्त होने के उपरान्त उक्त आशय की प्रविष्टि संबंधित अनुज्ञप्ति पंजी में कराते हुए अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 166/श0, मधेपुरा, दिनांक 28/08/2020

प्रतिलिपि : श्री संजय कुमार, पे0-स्व0 नन्द किशोर यादव, सा0-मधेपुरा वार्ड नं0-21, थाना+जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल दण्डाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।